नवधृति

मानवाधिकार समाचार

PRGI No. RJBIL/26/A0880

सच साहस न्याय की खबर

हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष : 1 अंक : 02 सम्पादकः श्रवण पंवार, जयपुर मो.: 9251120059 जयपुर, मई, 2026

‘दिव्यांगता नहीं, क्षमता पहचान बने’

हमारे रिपोर्टर सहयोगी

अरविन्द्र कुमार
हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)

रोहित कुमार
कोटपुतली (राजस्थान)

कृष्णकुमार मुरारी
पटियाला (पंजाब)

राजेश कुमार साहू
सरगुजा (छत्तीसगढ़)

महादेव पंवार
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
व डवलपर्स

— सच • अधिकार • समाज —

आवश्यकता

NAVDHRITI
MANAVADHIKAR
SACH SAAHAS NYAAY KEE KHABAR
SAMACHA
www.nms.news

देश-प्रदेश में समाचार पत्रिका के विस्तार हेतु
पत्रकार/संवाददाता एवं विज्ञापन एजेंट्स
की आवश्यकता है।

अगर आपको अपने क्षेत्र व देश की समस्याओं को

- सामने लाने का जुनून है
- पत्रकार के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं
- समाज में सकारात्मक परिवर्तन में सहयोग करना चाहते हैं
- तो यह आपके लिये एक सुनहरा अवसर है।

हमसे जुड़ें, बदलाव का हिस्सा बनें !

आपको मिलेगा

- समाज में सकात्मक बदलाव लाने का अवसर
- अपनी आवाज को मंच देने का अवसर
- पहचान बनाएं, सम्मान पाएं,
- करियर में नई ऊंचाइयों को छुएं

संपर्क करें

जिला संवाददाता – तहसील/ब्लॉक रिपोर्टर,
ब्यूरो चीफ

मुख्य कार्यालय :
जयपुर, राजस्थान

9251120059

www.nms.news

“ मानवाधिकार की रक्षा – हमारा संकल्प, आपकी आवाज – हमारी ताकत ”

नवधृति

मानवाधिकार समाचार

सच साहस न्याय की खबर

PRGI No. RJBIL/26/A0880

प्रकाशक— श्रवण पंवार, जयपुर

वर्ष : 01 अंक : 02 दिनांक : मई, 2026

हिन्दी मासिक पत्रिका
के सदस्य शुल्क का विवरण

NAVDHRITI MANAVADHIKAR NEWS
SACH SAAHAS NYAAY KEE KHABAR SAMACHA

सदस्यता शुल्क (वार्षिक)
1000/- रुपये पोस्टेज सहित

प्रकाशक एवं सम्पादक
श्रवण पंवार
जयपुर (राजस्थान)

जयपुर कार्यालय
पथ नं. 6, प्लॉट नं-39, नियर खेतान
हॉस्पीटल, विजयवाड़ी, सीकर रोड़,
जयपुर (राज.) 302039
मो.: 9251130059
www.nms.news
E-mail: info@nms.news

कम्प्यूटर डिजाईनिंग
जयते प्रिंटर्स मो.: 7790990770

नोट- समस्त विवाद जयपुर
न्यायालय के अंतर्गत

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
01	सम्पादकीय	01
02	रेलवे यात्रा दिव्यांग मार्गदर्शन	02
03	दिव्यांग पेंशन योजना : संपूर्ण जानकारी	03
04	दिव्यांगता के दृष्टिकोण से महर्षि अष्टावक्र	04
05	भारत के 10 प्रसिद्ध दिव्यांग, जिन्होंने चुनौतियों को मात देकर रचा इतिहास	05
06	दिव्यांग खिलाड़ियों को मिला अपना पहला विशेष मैदान	12
07	21 प्रकार की विकलांगता, कारण व लक्षण	13
08	विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर के अधिकार	16
09	ईरान, इज़रायल और अमेरिका युद्ध	21
10	केन्द्र शासित प्रदेशों के चुनावों ने दिया ऐतिहासिक परिणाम	22

स्वत्वाधिकारी, मालिक, प्रकाशक व सम्पादक श्रवण कुमार पंवार के लिए प्रिन्टर्स (मुद्रक) विजेन्द्र प्रकाश हलचल, विजय पथ, धानी नगर, श्याम नगर, फुलेरा, जयपुर (राजस्थान) से मुद्रित एवं लखेरा शक्ति क्रियेशन प्रा.लि., सी-1 सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, 22 गोदाम, जयपुर (राज.) 302039 से प्रकाशित

दिव्यांग नहीं, सक्षम नागरिक: समान अधिकारों की नई दिशा

सम्पादकीय

प्रिय पाठकों,

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रत्येक नागरिक का सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। 'दिव्यांग' शब्द केवल शारीरिक स्थिति को दर्शाता है, न कि किसी व्यक्ति की क्षमता या उसकी संभावनाओं को सीमित करता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज दिव्यांगजनों को सहानुभूति की दृष्टि से नहीं, बल्कि समान अधिकार और सम्मान के साथ देखे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन और डिजिटल पहुंच हर क्षेत्र में समावेशी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन ही वास्तविक सशक्तिकरण का मार्ग है।

* समावेशी शिक्षा को बढ़ावा
* रोजगार में समान अवसर
* सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाना
* डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करना

सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने अधिकारों को कानूनी रूप दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी जागरूकता और क्रियान्वयन की कमी देखने को मिलती है।

हमें यह समझना होगा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, उनकी प्रतिभा और क्षमता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आवश्यक है कि उन्हें अवसर, संसाधन और समर्थन समान रूप से मिले। यह विशेषांक न केवल समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि समाधान और प्रेरणादायक कहानियों को भी सामने लाता है।

आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ 'दिव्यांगता नहीं, क्षमता पहचान बने' और हर व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी सके।

धन्यवाद।

–संपादक

नवधृति मानवाधिकार समाचार

जयपुर

रेलवे यात्रा दिव्यांग मार्गदर्शन

विकलांग रेलवे (दिव्यांगजन) कंसेशन कार्ड अब दिव्यांगजन आईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। इसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फोटो की आवश्यकता होती है। यह कार्ड मिलने के बाद, आप आई.आर.सी.टी.सी. या स्टेशन से 50 से 75 प्रतिशत तक की छूट के साथ ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आधिकारिक वेबसाइट-
divyangjanid.indianrail.gov.in पर जाएं।

पंजीकरण- "New User Registration" पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और आधार विवरण के साथ पंजीकरण करें।

विवरण भरें- नाम, पता, दिव्यांगता का प्रकार और अपना नज़दीकी रेलवे स्टेशन चुनें।

दस्तावेज़ अपलोड करें- अपना विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।

सबमिट करें- जानकारी सबमिट करने के बाद, रेलवे अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

डाउनलोड- आवेदन स्वीकार होने के बाद, आप यहीं से अपना 'दिव्यांगजन कार्ड' डाउनलोड कर सकते हैं।

दिव्यांगजन कार्ड: महत्वपूर्ण जानकारी-

छूट (Concession): यह कार्ड मिलने पर, आपको दिव्यांग यात्रियों को 50 से 75 प्रतिशत तक की रियायत (Concession) मिलती है।

वैधता- यह कार्ड लगभग लाइफ टाइम (2078 तक) मान्य हो सकता है।

टिकट बुकिंग- आप TS on Mobile app या IRCTC पर इस कार्ड नंबर का उपयोग करके ई-टिकट बुक कर सकते हैं।

सहायता- किसी भी समस्या के लिए pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

दिव्यांग पेंशन योजना : संपूर्ण जानकारी

दिव्यांग पेंशन योजना भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

योजना का परिचय—

दिव्यांग पेंशन योजना मुख्यतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS) के अंतर्गत संचालित होती है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है। इसके अलावा, हर राज्य अपनी अलग दिव्यांग पेंशन योजना भी चलाता है।

पात्रता (Eligibility)—

दिव्यांग पेंशन पाने के लिए सामान्यतः निम्न शर्तें होती हैं-

* आवेदक भारत का नागरिक हो
* आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
* कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता (सरकारी मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित)
* गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत या सीमित आय वाला व्यक्ति किसी अन्य बड़ी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज—

आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होते हैं-

* आधार कार्ड
* दिव्यांगता प्रमाण पत्र
* आय प्रमाण पत्र
* बैंक खाता विवरण
* पासपोर्ट साइज फोटो
* निवास प्रमाण पत्र

पेंशन राशि—

केंद्र सरकार द्वारा ₹300 प्रति माह (18-79 वर्ष), 80 वर्ष या उससे अधिक आयु ₹500 प्रति माह व राज्य सरकारें इसमें अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं।

उदाहरण- राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना में कुल पेंशन ₹750 से ₹1500 प्रति माह (आयु के अनुसार) तक हो सकती है।

आवेदन प्रक्रिया—

ऑनलाइन आवेदन- राज्य की ई-मित्र/सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं, आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन सबमिट करें।

ऑफलाइन आवेदन-

नजदीकी पंचायत, तहसील या सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय जाएं, फॉर्म भरकर दस्तावेज जमा करें

योजना के लाभ—

* नियमित मासिक आय का स्रोत
* आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को सहायता
* आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन
* चिकित्सा और दैनिक जरूरतों में सहारा

महत्वपूर्ण बातें—

पेंशन सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आती है। समय-समय पर सत्यापन (Verification) जरूरी होता है, गलत जानकारी देने पर पेंशन बंद हो सकती है।

निष्कर्ष—

दिव्यांग पेंशन योजना समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। यह न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एक प्रेरक विचार

दिव्यांगता के दृष्टिकोण से महर्षि अष्टावक्र

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में महर्षि अष्टावक्र का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक महान ऋषि ही नहीं, बल्कि दिव्यांगता के संदर्भ में आत्मबल, ज्ञान और आत्मसम्मान के प्रतीक भी हैं।

अष्टावक्र का जीवन और दिव्यांगता—

'अष्टावक्र' शब्द का अर्थ है- आठ स्थानों से टेढ़ा। मान्यता है कि उनके शरीर में आठ प्रकार की विकृतियाँ थीं, जिससे उनका शरीर सामान्य नहीं था। फिर भी, उनकी बुद्धि, आत्मज्ञान और तर्कशक्ति अद्भुत थी।

उनकी शारीरिक स्थिति ने उनके ज्ञान को कभी सीमित नहीं किया। यह हमें बताता है कि दिव्यांगता शरीर में हो सकती है, मन और आत्मा में नहीं।

राजा जनक के दरबार में आत्मविश्वास—

एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र पहुंचे, तो उनके शरीर को देखकर कुछ विद्वान हँस पड़े।

अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया कि 'आप लोग शरीर को देखकर हँस रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप ज्ञानी नहीं, बल्कि चमड़े (त्वचा) को देखने वाले हैं।'

यह उत्तर उनके आत्मविश्वास और गहन ज्ञान को दर्शाता है। उन्होंने यह साबित किया कि व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और विचारों से होती है।

अष्टावक्र गीता का संदेश—

अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा, मोक्ष और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया है।

उनका मुख्य संदेश है—

* मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है
* बाहरी रूप मायने नहीं रखता
* सच्चा सुख और स्वतंत्रता भीतर से आती है

दिव्यांगता के संदर्भ में सीख—

महर्षि अष्टावक्र का जीवन आज के समाज के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश देता है-

* आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है
* शारीरिक कमी, मानसिक या बौद्धिक कमी नहीं होती
* समाज को दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है
* हर व्यक्ति में विशेष क्षमता होती है

आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा—

आज जब हम दिव्यांगता को केवल 'सीमाओं' के रूप में देखते हैं, तब अष्टावक्र का जीवन हमें सिखाता है कि यह 'सीमा' नहीं, बल्कि एक अलग दृष्टिकोण है।

वे इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि सही सोच, ज्ञान और आत्मबल से कोई भी व्यक्ति समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष—

महर्षि अष्टावक्र का जीवन यह सिखाता है कि दिव्यांगता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल और आत्मज्ञान से उसे शक्ति में बदला जा सकता है। उनका व्यक्तित्व हमें प्रेरित करता है कि हम बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से किसी का मूल्यांकन करें।

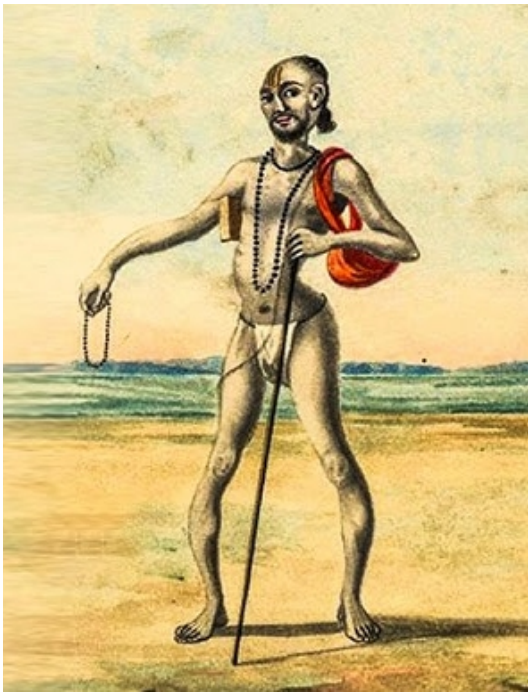

भारत के 10 प्रसिद्ध दिव्यांग, जिन्होंने चुनौतियों को मात देकर रचा इतिहास

भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ साहस, जज़्बे और अदम्य इच्छाशक्ति की असंख्य कहानियाँ मिलती हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और इतिहास रच दिया।

ये प्रेरक व्यक्तित्व इस बात के प्रतीक हैं कि सफलता के लिए शरीर नहीं, बल्कि मन का दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास सबसे बड़ी ताकत होती है। इनकी उपलब्धियाँ न केवल समाज को नई दिशा देती हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती हैं जो किसी भी चुनौती से जूझ रहा है।

लुई ब्रेल

मानव इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को समाज की शक्ति बना दिया। लुई ब्रेल ऐसे ही एक महान आविष्कारक थे, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए।

लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को कुप्रे, फ्रांस में हुआ था। उनके पिता एक कारीगर थे और छोटी-सी उम्र में ही लुई को अपने पिता के औजारों से खेलने का शौक था। दुर्भाग्यवश, एक दिन औजार से खेलते समय उनकी आंख में चोट लग गई, जिससे धीरे-धीरे उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और वे पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए।

इस कठिन परिस्थिति के बावजूद, लुई ब्रेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने पेरिस के नेत्रहीनों के लिए बने एक विशेष विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने महसूस किया कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई करना बहुत कठिन है, क्योंकि उस समय कोई प्रभावी पढ़ने-लिखने की प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए लुई ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में एक नई लिपि का आविष्कार किया जिसे आज हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। इस लिपि में छह उभरे हुए बिंदुओं (dots) के संयोजन से अक्षर, संख्या और चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जा सकता है। यह प्रणाली इतनी सरल और प्रभावी थी कि जल्द ही यह पूरी दुनिया में फैल गई।

लुई ब्रेल का यह आविष्कार केवल एक लिपि नहीं, बल्कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए आत्मनिर्भरता और शिक्षा का माध्यम बन गया। इससे लाखों लोगों को पढ़ने-लिखने का

अवसर मिला और वे समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम हुए।

हालांकि, अपने जीवनकाल में लुई ब्रेल को अपने आविष्कार के लिए उतनी पहचान नहीं मिली, जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। 6 जनवरी 1852 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई ब्रेल लिपि आज भी पूरी दुनिया में उपयोग की जाती है और उनके महान योगदान की गवाही देती है।

निष्कर्ष—

लुई ब्रेल का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए होती हैं। उनका आविष्कार आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला फैला रहा है और उन्हें सच्चे अर्थों में महान बनाता है।

स्टीफन हॉकिंग

दुनिया के महान वैज्ञानिकों में स्टीफन हॉकिंग का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे एक ऐसे असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने गंभीर शारीरिक अक्षमता के बावजूद विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया और पूरी दुनिया को प्रेरित किया।

स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और भौतिकी तथा ब्रह्मांड विज्ञान (Cosmology) के क्षेत्र में गहन अध्ययन किया।

21 वर्ष की उम्र में हॉकिंग को एक गंभीर बीमारी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) का पता चला। इस बीमारी में धीरे-धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बहुत कम समय तक जीवित रहने की संभावना बताई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने शोध कार्य को जारी रखा।

स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ब्लैक होल (Black Hole) पर गहन शोध किया और यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल से भी ऊर्जा निकल सकती है, जिसे आज 'हॉकिंग विकिरण (Hawking Radiation)' कहा जाता है। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

वे बोलने में असमर्थ हो गए थे, लेकिन उन्होंने कम्प्यूटर और विशेष वॉइस सिंथेसाइज़र की मदद से संवाद करना जारी रखा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुँचाया और यह विश्वभर में अत्यंत लोकप्रिय हुई।

स्टीफन हॉकिंग का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। उन्होंने यह साबित किया कि शारीरिक सीमाएँ व्यक्ति की सोच और क्षमताओं को नहीं रोक सकतीं।

निष्कर्ष—

स्टीफन हॉकिंग का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे भीतर दृढ़ निश्चय और लगन हो, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

हेलन केलर

मानव इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने अपनी सीमाओं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हेलन केलर ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला थीं, जिन्होंने दृष्टिहीन और बधिर होने के बावजूद पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया, अलबामा, अमेरिका में हुआ था। वे जन्म के समय पूरी तरह स्वस्थ थीं, लेकिन लगभग 19 महीने की उम्र में एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की क्षमता समाप्त हो गई। इतनी छोटी उम्र में ही अंधेपन और बहरापन जैसी दोहरी दिव्यांगता का सामना करना उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी।

उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उनकी शिक्षिका ऐन सुलिवन उनके जीवन में आईं। ऐन सुलिवन ने उन्हें स्पर्श के माध्यम से भाषा सिखाई। 'वाटर' शब्द सिखाने की घटना बहुत प्रसिद्ध है, जब पानी के बहते हुए स्पर्श के साथ उन्होंने शब्द का अर्थ समझाया। यहीं से हेलन केलर के ज्ञान का मार्ग खुल गया।

हेलन केलर ने आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और वे एक सफल लेखिका, वक्ता और समाजसेवी बनीं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की है।

उन्होंने अपने जीवन को केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए भी लगातार काम किया। वे दुनिया भर में यात्रा कर लोगों को प्रेरित करती रहीं और यह संदेश देती रहीं कि कोई भी बाधा व्यक्ति की इच्छाशक्ति से बड़ी नहीं होती।

निष्कर्ष—

हेलन केलर का जीवन साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी कठिनाई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

निक वुजिसिक

दुनिया में कुछ लोग अपनी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। निक वुजिसिक ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने बिना हाथ और पैरों के जन्म लेने के बावजूद पूरी दुनिया को जीने का नया नजरिया दिया।

निक वुजिसिक का जन्म 4 दिसंबर 1982 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वे एक दुर्लभ बीमारी टेट्रा-अमेलिया सिंड्रोम (Tetra-Amelia Syndrome) के साथ पैदा हुए, जिसमें व्यक्ति के हाथ और पैर विकसित नहीं होते। बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे अक्सर निराश हो जाते थे और जीवन को लेकर संघर्ष करते थे।

लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी सोच को बदला और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने यह समझा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति होती है, न कि उसका शरीर।

निक वुजिसिक ने आगे चलकर शिक्षा प्राप्त की और एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। उन्होंने अपनी संस्था लाइफ विदाउट लिम्ब्स की स्थापना की, जिसके माध्यम से वे दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करते हैं। वे स्कूलों, कॉलेजों और बड़े मंचों पर जाकर अपने अनुभव साझा करते हैं और लोगों को जीवन में हार न मानने का संदेश देते हैं।

उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें लाइफ विदाउट लिमिट्स बहुत प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी को प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया है।

निष्कर्ष—

निक वुजिसिक का जीवन यह सिखाता है कि यदि हमारे पास आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच हो, तो कोई भी कमी हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और यह साबित करते हैं कि 'असंभव' शब्द केवल एक भ्रम है।

सुधा चंद्रन

कला, साहस और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम हैं सुधा चंद्रन। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियाँ भी किसी व्यक्ति के सपनों को रोक नहीं सकतीं, यदि उसके भीतर दृढ़ निश्चय और जुनून हो।

सुधा चंद्रन का जन्म 21 सितंबर 1965 को मुंबई, भारत में हुआ था। बचपन से ही उन्हें नृत्य का बहुत शौक था और उन्होंने कम उम्र में ही भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल कर ली थी। उनका भविष्य एक सफल नृत्यांगना के रूप में उज्ज्वल दिखाई दे रहा था।

लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा हादसा तब हुआ, जब एक सड़क दुर्घटना में उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। संक्रमण के कारण डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, क्योंकि एक नृत्यांगना के लिए पैर खोना किसी बड़े सपने के टूटने जैसा था।

हालांकि, सुधा चंद्रन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कृत्रिम पैर 'जयपुर फुट' की मदद से फिर से चलना सीखा और धीरे-धीरे नृत्य का अभ्यास शुरू किया। कड़ी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने न केवल फिर से नृत्य करना सीखा, बल्कि मंच पर शानदार प्रदर्शन करके लोगों को चौंका दिया।

उनकी प्रेरणादायक कहानी पर आधारित फिल्म नाचे मयूरी ने उन्हें और भी प्रसिद्ध बना दिया। इसके बाद उन्होंने टीवी और फिल्मों में भी अभिनय किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई।

निष्कर्ष—

सुधा चंद्रन का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे मन में होती है। उन्होंने यह साबित किया कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी बाधा हमें सफलता से नहीं रोक सकती। वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

अरुणिमा सिन्हा पर लेख

संघर्ष, साहस और अटूट संकल्प का दूसरा नाम हैं- अरुणिमा सिन्हा। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अगर इंसान ठान ले, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।

अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वे एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं और खेलों में उनका भविष्य उज्ज्वल था।

साल 2011 में उनके जीवन में एक भयानक हादसा हुआ। कुछ बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसके कारण उनका एक पैर ट्रेन से कट गया। यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। एक खिलाड़ी के लिए पैर खो देना किसी बड़े सपने के टूटने जैसा था।

लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने फिर से चलना सीखा और अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया-दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना।

कड़ी मेहनत, कठिन प्रशिक्षण और अटूट हौसले के बल पर 21 मई 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया। वे दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बनीं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।

अरुणिमा सिन्हा ने अपनी सफलता के बाद भी समाज सेवा का मार्ग चुना। वे दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करती हैं और अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी जीवन कहानी पर आधारित पुस्तक Born Again on the Mountain भी काफी प्रसिद्ध है।

निष्कर्ष—

अरुणिमा सिन्हा का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हमारे भीतर दृढ़ निश्चय और हिम्मत हो, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

मार्ली मैटलिन

कला और आत्मविश्वास का अद्भुत उदाहरण हैं- मार्ली मैटलिन। वे दुनिया की उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी पहचान और ताकत बनाया।

मार्ली मैटलिन का जन्म 24 अगस्त 1965 को मॉर्टन ग्रोव, इलिनॉय, अमेरिका में हुआ था। बचपन में ही बीमारी के कारण उनकी सुनने की क्षमता चली गई और वे पूरी तरह बधिर हो गईं। इसके बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा और अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

उन्होंने कम उम्र से ही थिएटर में काम करना शुरू कर दिया और अपनी प्रतिभा से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी मेहनत और लगन का परिणाम तब सामने आया, जब उन्हें फिल्म 'चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड' में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें 1987 में अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) से सम्मानित किया गया। वे इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली बधिर अभिनेत्री बनीं।

मार्ली मैटलिन ने केवल फिल्मों में ही नहीं, बल्कि टेलीविजन और सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष रूप से बधिर समुदाय के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सफलता पाने के लिए सुनना जरूरी नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास होना जरूरी है।

निष्कर्ष—

मार्ली मैटलिन का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी प्रकार की कमी हमारे सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती। उनकी उपलब्धियाँ हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें और जीवन में आगे बढ़ें।

फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट

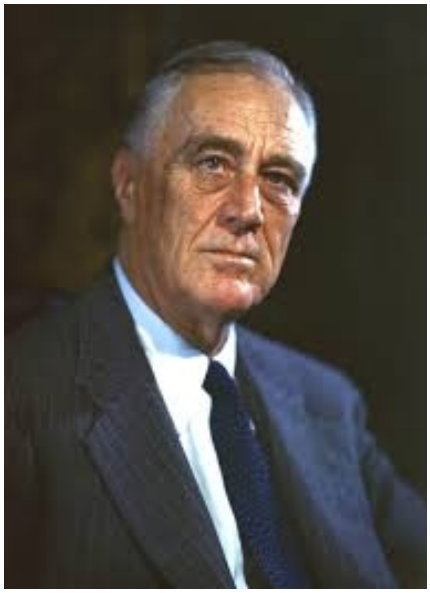

दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे नेता हुए हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने देश का मार्गदर्शन किया और नई दिशा दी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऐसे ही एक महान नेता थे, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के बावजूद अमेरिका को संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जन्म 30 जनवरी 1882 को हाइड पार्क, न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। वे एक समृद्ध परिवार से थे और बचपन से ही नेतृत्व के गुण उनमें दिखाई देते थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और राजनीति में कदम रखा।

साल 1921 में रूजवेल्ट को पोलियो (Polio) बीमारी हो गई, जिससे उनके पैरों में स्थायी कमजोरी आ गई और वे चलने-फिरने में असमर्थ हो गए। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।

1933 में वें अमेरिका के राष्ट्रपति बने और लगातार चार बार इस पद पर चुने गए, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका महामंदी (Great Depression) जैसी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उन्होंने '**न्यू डील** (New Deal)' जैसी योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी उन्होंने अपने नेतृत्व से अमेरिका को मजबूत बनाया और विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयास किए। उनकी नीतियों और दृढ़ इच्छाशक्ति ने उन्हें एक सफल और प्रभावशाली नेता बनाया।

निष्कर्ष—

फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जीवन यह सिखाता है कि शारीरिक कठिनाइयाँ किसी व्यक्ति के हौसले को नहीं रोक सकतीं। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा नेतृत्व आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और सेवा भावना से आता है। वे आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

रविंद्र जैन

भारतीय संगीत जगत में कुछ ऐसे महान कलाकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से अमिट छाप छोड़ी। रविंद्र जैन ऐसे ही एक प्रसिद्ध संगीतकार, गायक और गीतकार थे, जिन्होंने दृष्टिहीन होने के बावजूद संगीत की दुनिया में अद्भुत सफलता हासिल की।

रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वे जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। उनके परिवार ने

उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत की शिक्षा दिलाई।

अपनी मेहनत और लगन के बल पर रविंद्र जैन ने धीरे-धीरे संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई यादगार गीत और संगीत दिए। उनके संगीत में मधुरता, भावनात्मक गहराई और भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है।

उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए संगीत दिया, जिनमें रामायण और चितचोर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके द्वारा रचित गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।

रविंद्र जैन ने केवल फिल्म संगीत तक ही अपने आपको सीमित नहीं रखा, बल्कि भजन, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी आवाज और रचनाओं में एक अलग ही आत्मीयता और भक्ति भाव झलकता था।

निष्कर्ष—

रविंद्र जैन का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे भीतर सच्ची लगन और प्रतिभा होए तो कोई भी कमी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने यह सिद्ध किया कि दृष्टिहीनता के बावजूद व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से दुनिया को रोशन कर सकता है। वे आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं।

डॉ. सुरेश एच. आडवाणी

डॉ. सुरेश एच. आडवाणी भारत के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट) हैं, जिन्होंने देश में कैंसर उपचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे उन डॉक्टरों में से हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को हासिल किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने।

डॉ. आडवाणी का जन्म 1947 में हुआ। बचपन में ही वे पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके कारण उन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती थी। लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर कैंसर उपचार (ऑन्कोलॉजी) को अपना क्षेत्र चुना। वे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से लंबे समय तक जुड़े रहे, जो भारत का प्रमुख कैंसर उपचार संस्थान है। डॉ. आडवाणी ने कीमोथेरेपी और रक्त कैंसर (ब्लड कैंसर) के इलाज में नई तकनीकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉ. आडवाणी भारत में कीमोथेरेपी के शुरुआती विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कैंसर के मरीजों के इलाज के साथ-साथ जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से कई नई उपचार पद्धतियाँ विकसित हुईं, जिससे हजारों मरीजों को नया जीवन मिला।

उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया।

निष्कर्ष—

डॉ. सुरेश एच. आडवाणी का जीवन हमें सिखाता है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और मेहनत हो, तो कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वे न केवल एक महान डॉक्टर हैं, बल्कि संघर्ष और सफलता की जीवंत मिसाल भी हैं।

दिव्यांग खिलाड़ियों को मिला अपना पहला विशेष मैदान

राजस्थान में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। अब उन्हें अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए पहली बार विशेष रूप से तैयार किया गया अपना अलग मैदान मिल गया है।

हर जरूरत का रखा गया ध्यान—

इस मैदान को इस तरह विकसित किया गया है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

* सुगम प्रवेश और आवाजाही की व्यवस्था
* खेल उपकरणों की विशेष सुविधा
* प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण

समान अवसर की दिशा में कदम—

इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों की तरह अवसर और मंच देना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें और आगे बढ़ सकें।

जयपुर में हुई शुरुआत—

इस विशेष मैदान की शुरुआत जयपुर में की गई है, जहां खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं के अवसर मिलेंगे।

खेल और आत्मविश्वास का संगम—

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सुविधाओं से न केवल खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा।

निष्कर्ष—

यह पहल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है और खेल जगत में समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

21 प्रकार की विकलांगता, कारण व लक्षण

दिव्यांगश् शब्द का अर्थ 'दिव्य अंग' (Divine Body Parts) होता है, जिसका उपयोग शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यह शब्द विकलांग शब्द का एक सम्मानजनक और सकारात्मक विकल्प है, जिसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचलित किया, ताकि इन व्यक्तियों की क्षमता को पहचान मिल सके, न कि केवल उनकी कमी को।

मुख्य विवरण— मूल अर्थः दिव्य (अलौकिक/ईश्वर)-अंग (शरीर के हिस्से), अर्थात ईश्वर की विशेष कृति।

उद्देश्य— यह शब्द नकारात्मकता को कम करने और समाज में दिव्यांगों को सम्मान व समानता देने के लिए लाया गया था।

परिभाषा (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016)— ऐसे व्यक्ति जिन्हें दीर्घकालिक शारीरिकए मानसिकए बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता (impairment) है, जो उन्हें समाज में समान रूप से भाग लेने में बाधा डालती है।

दायरा— इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं, जैसे चलना, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक और मानसिक अक्षमता।

मानव अनेक प्रकार की विकांगता से प्रभावित हो सकता है। इनमें कुछ विकलांगताएँ अधिक पाई जाती हैं तो कुछ कम। भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं में से कुछ विकलांगताओं को आधिकारिक-रूप से सूचीबद्ध किया है ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों की सरकारी सहायता की जा सके। यहाँ हम उन 21 विकलांगताओं की सूची दे रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त हैं।

1. दृष्टिहीनता—

दृष्टिहीनता का अर्थ है देखने में असमर्थता। एक दृष्टिहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो दृष्टिहीनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी दोनों आँखों से अँधेरे और उजाले का फर्क न कर सके।

2. निम्न-दृष्टि/अल्प दृष्टि (लो विज़न)—

निम्नलिखित दो में से किन्हीं एक परिस्थिति के होने पर व्यक्ति को अल्प दृष्टि की श्रेणी में रखा जा सकता है-

1. अधिकतम संभव सुधार के बाद भी बेहतर आँख से देख पाने की क्षमता 6/18 या 20/60 तक 3/60 या 10/200 (Snellen) तक होय या
2. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच हो।

3. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति—

कुष्ठ रोग, अथवा हैनसेन रोग (एच.डी.) एक संक्रामक बीमारी है जो *Mycobacterium leprae* नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बीमारी मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिका, ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतह और आँखों को प्रभावित करती है। कुष्ठ रोग बाल्यकाल से वृधावस्था तक कभी भी हो सकता है। करीब 95 प्रतिशत लोग जो *Mycobacterium leprae* बैक्टीरिया से प्रभावित होते हैं उन्हें कुष्ठ रोग नहीं होता; केवल 5 प्रतिशत लोग ही रोग की स्थिति तक पहुँचते हैं।

4. श्रवणबाधित (बहरापन)—

श्रवण बाधित श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जो सुनने में अक्षम हों या ऊँचा सुनते हों। इस विकलांगता को दो अलग भागों में बाँटा जाता है- बहरापन और ऊँचा सुनना।

1. बहरापन या बधिरता श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी सुनने की क्षमता दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे अधिक तक कम हो जाती है।
2. ऊँचा सुनने की श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी सुनने की क्षमता दोनों कानों में 60 से 70 डेसिबल तक कम हो जाती है।

5. चलन-सम्बन्धी विकलांगता (लोकोमोटर विकलांगता)—

चलन-सम्बन्धी विकलांगता मुख्यतः एक जगह से दूसरे जगह जाने की दिक्कत यानी पैरों की विकलांगता को कहते हैं। लेकिन इस श्रेणी में हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी विकलांगताएँ भी आती हैं। चलन-सम्बंधी

विकलांगता व्यक्ति की गति में समस्या पैदा करती है ;जैसे चलना] उठना, बैठना] हाथ में किसी चीज़ को पकड़ना इत्यादि।

6. बौनापन—

बौनापन विकास सम्बन्धी विकार है जिसमें व्यक्ति के शरीर की लम्बाई सामान्य से कम होती है।

7. बौद्धिक विकलांगता—

बौद्धिक विकलांगता को सामान्य तौर पर सीखने की अक्षमता या मानसिक मंदता भी कहा जाता है। यह ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता (तर्क-वितर्क, समस्या का समाधान ढूँढना, नई चीज़ें सीखना) और सामाजिक व्यवहार (राज़मर्रा के काम, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल) दोनों में काफी कमी होती है।

8. मानसिक रोग—

मानसिक रोग या मानसिक विकार व्यक्ति की सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता है। इसमें मानसिक मंदता शामिल नहीं है। मानसिक मंदता में मस्तिष्क का विकास अधूरा या रुका हुआ होता है।

9. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर—

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ए.एस.डी) एक तंत्रिका-सम्बन्धी विकासात्माक विकार है जिसमें व्यक्ति की बोलचाल और व्यवहार प्रभावित होता है। वैसे तो यह विकार किसी भी उम्र में पता चल सकता है लेकिन फिर भी इसे विकासात्मक विकार की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि सामान्यतः इसके लक्षण शुरूआती दो सालों में ही उभरते हैं। ऑटिज्म व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

10. सेरिब्रल पाल्सी—

सेरिब्रल पाल्सी (सी.पी.) एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। यह बच्चे के जन्म के समय या उससे पहले होता है। यह एक प्रगतिशील विकार नहीं है अर्थात यह समय के साथ बढ़ता नहीं है। हालाँकि माँसपेशियों के इस्तेमाल न होने से समय के साथ स्थिति बिगड़ सकती है। वर्तमान में इस स्थिति का कोई इलाज़ नहीं है।

11. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी—

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एम.डी.) माँसपेशियों से जुड़े अनुवांशिक विकारों का एक समूह है जिसके कारण माँसपेशियों में कमजोरी और माँसपेशियों का क्षय होता है। यह एक प्रगतिशील स्थिति है अर्थात समय के साथ यह बढ़ती जाती है।

12. पुरानी तंत्रिका सम्बन्धी स्थितियाँ—

पुरानी/दीर्घकालिक तंत्रिका सम्बन्धी स्थितियों के कुछ उदाहरण हैं-

* अल्जाइमर रोग और डीमेनशिया
* पार्किन्संस डिजीज़
* डिसटोनिया
* ए.एल.एस. (लू गेह्रिग रोग)
* हंटिंग्टन डिजीज़
* तंत्रिकपेशीय बीमारी
* मल्टिपल स्क्लेरोसिस
* मिर्गी
* स्ट्रोक

13. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी—

स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी विकलांगता उत्पन्न करने वाली स्थितियों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की सुनने, सोचने, बोलने, लिखने या गणितीय गणना करने की क्षमता को बाधित करती है। इनमें से एक या अधिक क्षमताएँ इस प्रकार की विकलांगता में प्रभावित हो सकती हैं।

14. मल्टीपल स्क्लेरोसिस—

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुदंड शामिल हैं, को क्षति पहुँचाने लगती है। इसके कारण स्नायु (नयूरोंस) के ऊपर की परत से माईलीन शीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण नर्व फाइबर पर असर पड़ता है और सूचनाओं का प्रवाह बाधित होता है। वक़त के साथ

मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्व को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर सकती है।

15. वाणी और भाषा-सम्बन्धी विकलांगता—

यह लेरिंजेक्टॉमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न एक स्थाई विकलांगता है जिसमें बोलने की क्षमता और भाषा के महत्त्वपूर्ण घटकों को नुक्सान पहुँचता है।

16. थैलेसीमिया—

यह एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है या फिर असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होने लगता है। आप शायद यह जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है। थैलेसीमिया के कारण बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के परिणामस्वरूप, थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है, थकान महसूस होती है और पेशाब का रंग गहरा हो जाता है।

17. हीमोफीलिया—

हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जिसके कारण रक्त में थक्के बनाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस प्रोटीन की कमी के कारण खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं है। हीमोफीलिया अक्सर पुरुषों को होता है और उन्हें यह आनुवांशिक विकार अपनी माँ से मिलता है। महिलाएँ हीमोफीलिया से बहुत कम प्रभावित होती हैं।

18. सिकल सेल रोग—

सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है जिसमें रक्त कोशिकाएँ सिकल (हंसिया या दरांती) जैसे असामान्य आकार की हो जाती हैं और नष्ट होने लगती हैं। ऐसी विकृत लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाने की क्षमता कम हो जाती है। यह भी एक आनुवांशिक बीमारी है।

19. बहु-विकलांगता (बहरेपन-दृष्टिहीनता सहित)—

बहु-विकलांगता का अर्थ एक से अधिक विकलांगता का एक साथ होना। इस प्रकार की विकलांगताएँ मोटर और संवेदी दोनों तरह की हो सकती हैं।

20. तेजाब हमले से प्रभावित व्यक्ति—

तेजाब हमले के प्रभावित वे लोग होते हैं जो तेजाब या ऐसे ही किसी पदार्थ के हमले के कारण विकृत हो जाते हैं।

21. पार्किन्संस रोग—

यह केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जो व्यक्ति की चाल/गति को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में कंपकंपी और जकड़न होती है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है जो समय के साथ बढती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

डेटा बैंक

भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति (जनगणना 2011)

- कुल जनसंख्या का **2.21%** दिव्यांगजन हैं।
- **56% दिव्यांगजन** पुरुष हैं, जबकि **44% महिलाएं** हैं।
- **लगभग 69% दिव्यांगजन आबादी** ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
- **कुल दिव्यांगजनों में से 21% बुजुर्ग** (60+ वर्ष) हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर के अधिकार

क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?

विकलांग व्यक्तियों से सम्बंधित (समानअधिकारों की रक्षा व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 विकलांग व्यक्तियों को समर्थ बनाने और मुख्यधारा में लाने के लिए ढेर सारे अधिकार प्रदान करता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कानून—

* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देश में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और समान कानूनी सुरक्षा का हक प्राप्त है। यह बात विकलांग व्यक्तियों पर भी लागू होती है।
* यदि कोई विकलांग व्यक्ति अपनी विकलांगता के आधार पर अनुचित/मनमाने भेदभाव का सामना करता है तो वह किसी भी वक्त अदालत में जा सकता है।
* चूँकि संविधान (सकारात्मक) भेदभाव की अनुमति देता है, इसलिए विकलांग और गैर-विकलांग व्यक्तियों के बीच भेद मिटाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार और आरक्षण संबंधी विशेष कानून बनाए जा सकते हैं।
* विकलांग व्यक्तियों से संबंधित (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में 'विकलांगता अधिनियम' या इसके आगे 'यह (या इस) अधिनियम' के रूप में जिक्र किया गया है।)
* आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मंदबुद्धिता व बहु-विकलांगता से ग्रसित लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999..
* भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992.
* मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987.

स. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के क्या उद्देश्य हैं?

* विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाना और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना।
* ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को गैर विकलांग व्यक्ति के समकक्ष अधिकार हासिल हों।

स. क्या सभी विकलांग व्यक्ति विकलांगता अधिनियम के लाभों के हकदार होते हैं?

ज. विकलांगता अधिनियम के सामान्य लाभ सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए होते हैं। फिर भी विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से चिन्हित अधिकार एक मान्यता प्राप्त मेडिकल प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकृत केवल निम्नलिखित विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 40 प्रतिशत या अधिक की सीमा तक होते हैं-

* नेत्रहीनता
* कमजोर दृष्टि
* कुष्ठ-निवारित
* श्रवण-दोष
* लोकोमीटर विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (cerebral plasy) से ग्रसित व्यक्ति
* मंदबुद्धिता
* मानसिक रूग्णता

स. यह अधिनियम अपने उद्देश्य कैसे हासिल करेगा?

ज. विकलांगता अधिनियम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न व्यवस्थाएं करता है-

* विकलांग व्यक्तियों की सेवा।
* विकलांग व्यक्तियों को रोजगार।
* सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक भवनों/स्थानों के उपयोग तथा उन तक पहुँच बनाने के लिहाज से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं।
* विकलांग व्यक्तियों को कारोबार व फैक्टरी खोलने, अपना मकान, विशेष स्कूल और विशेष मनोरंजन केन्द्र बनाने में मदद के लिए प्राथमिकता के आधार पर आबंटन।
* विकलांगता की रोकथाम और शुरूआत में पता लगाना।
* विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा।
* विकलांगता से संबंधित मसलों पर शोध और मानव शक्ति का विकास।

* विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की मान्यता।
* इस अधिनियम पर अमल के सिलसिले में तालमेल, निष्पाद व न्यायनिर्णय के लिए केन्द्र व राज्य स्तरों पर प्रतिबद्ध प्राधिकरणों की स्थापना।

शुरूआत में ही विकलांगता को रोकने के तरीकों का पता लगाने से पीड़ा काफी कम की जा सकती है। इस बारे में यह अधिनियम क्या कहता है?

स. विकलांगता की रोकथाम और शुरूआत में उसका पता लगाने के लिए सरकार को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए?

ज. सरकार व स्थानीय प्रशासन को निम्न कदम उठाने चाहिए-

* सर्वेक्षण, जाँच और विकलांगता के कारणों पर शोध करना।
* विकलांगता रोकने के लिए विभिन्न तौर-तरीकों को बढ़ावा देना।
* हर साल 'जोखिमपूर्ण मामलों' की पहचान के लिए सभी बच्चों की कम से कम एक बार जाँच करना।
* जागरूकता अभियान चलाना और सामान्य स्वच्छता, स्वास्थ्य व साफ-सफाई के बारे में जानकारी देना।
* जन्म से पहले, जन्म के दौरान और उसके बाद, जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए कदम उठाना।
* स्कूल-पूर्व, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, गाँव-स्तर के कार्यकत्ताओं और आँगनबाड़ी कार्यकत्ताओं के जरिए जनता को शिक्षित करना।
* विकलांगता के कारणों और एहतियाती कदमों के बारे में टेलीविजन, रेडियो और अन्य मास मीडिया के जरिए जनता में जागरूकता पैदा करना।

मैं पूरी तरह से योग्य हूँ, लेकिन मेरी विकलांगता की वजह से कोई भी मुझे नौकरी नहीं देता। क्या यह अधिनियम मुझे नौकरी पाने में मदद करेगा।

स. विकलांगता अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं?

ज. विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के इरादे से इस अधिनियम में निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं-

* सरकार के हरेक प्रतिष्ठान में पहचान किए गए पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियाँ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं, इनमें एक प्रतिशत हरेक के लिए है- (1) नेत्रहीन या कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति, (2) श्रवण-दोष से ग्रसित व्यक्ति और (3) लोकोमीटर विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित व्यक्ति।
* यदि किसी भर्ती वर्ष में कोई आरक्षित रिक्ति न भरी गई हो तो उसे अगले वर्ष में भरने के लिए अग्रसरित किया जाए।
* यदि भर्ती वर्ष में रिक्ति न भरी गई हो या आरक्षित रिक्ति के स्वरूप को देखते हुए उसे विकलांगता के निर्दिष्ट वर्ग में न भरी जा सकती हो तो तीनों वर्गों में अदला-बदली कर भरी जाए।
* गरीबी उन्मूलन की सभी स्कीमों में विकलांग लोगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण।
* सम्बद्ध मामलो, जैसे प्रशिक्षण, ऊपरी आयु सीमा में ढील, रोजगार समंजित करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय, जिन कार्य-स्थलों पर असमर्थता वाले लोगों को नियुक्त किया जाता हो वहाँ ऐसा वातावरण तैयार करना जो उनके काम करने में रूकावट न डाले, पर योजनाएँ तैयार करें।

स. यह अधिनियम कार्यस्थल पर विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव किस तरह रोकता है?

ज. अधिनियम इस बात का जोर देता है कि नियोक्ताओं को चाहिए कि जिन स्थानों पर विकलांग लोगों को नियुक्त किया जाता हो वहाँ वे ऐसा वातावरण तैयार करें जो उनके काम करने में रूकावट न डालें। अधिनियम यह आदेश भी देता है कि–

* किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत विकलांग व्यक्ति को सिर्फ उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है।
* सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्तिए जो नौकरी के दौरान विकलांग हो जाए तो?
  - उसे बर्खाश्त या पदावनत नहीं किया जा सकता।
  -यदि विकलांगता के बाद कोई व्यक्ति अपने पद पर कार्य जारी रखने के उपयुक्त नहीं रहता है तो उसे उसी वेतनमान और सेवा.लाभों के साथ किसी उपयुक्त पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
* किसी उपयुक्त पद की उपलब्धता विचाराधीन होने पर ऐसे व्यक्ति के लिए अतिरिक्त पद बनाया जाना चाहिए।

स. क्या यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार का प्रावधान करता है?

ज. सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के नियोक्ताओं को उनकी कुल कर्मचारी संख्या में से न्यूनतम 5 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने पर उन्हें प्रोत्साहन के बतौर छूटें प्रदान करें।

स. क्या यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों में उद्यमशीलता/ स्वामित्व को बढ़ावा देता है?

ज. हाँ, विकलांगता अधिनियम में यह प्रावधान है कि विकलांग लोगों को, अपना घर बनाने, कोई व्यवसाय खोलने या फैक्ट्री लगाने और विशेष स्कूल, अनुसंधान केन्द्र या विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने के लिए, सरकार द्वारा भूमि का अधिमानी (Preferential) आबंटन, रियायती दरों पर किया जाए।

स. क्या विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना सरकार का दायित्व है?

ज. जी हाँ, विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए-

* 18 साल की उम्र तक अनुकूल माहौल में हरेक विकलांग व्यक्ति के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करना।
* मुख्यधारा की स्कूलों में विकलांग छात्रों के समाकलन (Integration) को बढ़ावा देना।
* विशेष शिक्षा के जरूरतमंदों के लिए सरकार व निजी क्षेत्रों में विशेष स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देना, इन स्कूलों को व्यावसायिक व प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस करना और यह सुनिश्चित करना कि देश के किसी भाग में रहने वाले विकलांग छात्रों की ऐसी स्कूलों तक पहुँच हो सके।
* ढ़ाँचागत और अन्य मदद के लिए ये योजनाएं घोषित की जाएं-

-विकलांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं या वैकल्पिक तौर पर माता-पिता/अभिभावकों को वित्तीय राहत देना ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में समर्थ हो सकें।

-व्यावसायिक वे पेशेवर प्रशिक्षण देने वाले बच्चों, कॉलेजों या अन्य संस्थानों से ढ़ाँचागत बाधाओं को हटाना ताकि उन तक पहुँच हो सके।

-विकलांग छात्रों को पुस्तकें, वर्दी और अन्य सामग्री प्रदान करना।

-विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

-विकलांग छात्रों को नौकरियों के बारे में अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए समुचित फोरम स्थापित करना।

-दृष्टि दोष से ग्रसित छात्रों के लाभ के लिए परीक्षा प्रणाली में समुचित बदलाव लाना ताकि विशुद्ध तौर से गणित के सवाल हटा दिए जाएं।

-सभी विकलांग बच्चों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव करना, खासकर श्रवण-दोष से ग्रसित बच्चों को केवल एक भाषा सीखने की इजाजत देना।

-नेत्रहीन छात्रों के लिए लिपिक (लिखने वाले) मुहैया करना।

स. संस्थागत मदद के लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और विकलांगता से जुड़े अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए राष्ट्रीय व अन्य स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना।

* विकलांग व्यक्तियों की अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में योजनाएं बनाना।
* सभी सरकारी शिक्षा संस्थाओं को और उन संस्थाओं को जिन्हें सरकार से सहायता मिलती है, निशक्तता वाले व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण देना जरूरी है।

मैं अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाने का सपना देखता हूँ... क्या विकलांगता अधिनियम मेरे इस सपने को साकार कर सकता है? लेकिन मैं किसी सार्वजनिक परिवहन में सफर नहीं कर सकता या अधिकतर इमारतों में नहीं जा सकता। इस बारे में क्या?

स. परिवहन प्रणाली के इस्तेमाल में विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव रोकने के लिए सरकार को विकलांगता अधिनियम के तहत क्या करना चाहिए?

ज. परिवहन क्षेत्र से जुड़े सरकारी प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए-

* विकलांग व्यक्तियों की आसान पहुँच और उपयोग के लिए रेल कंपार्टमेंट्स, बसों, जहाजों और हवाई जहाजों को

उनके अनुकूल बनाना।

* व्हील चेयर्स का इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए रेल कंपार्टमेंट्स, जहाजों व पोतों, हवाई जहाजों और प्रतीक्षालयों में प्रसाधन गृहों को उनके अनुकूल बनाना।

स. सड़कों के इस्तेमाल में विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव रोकने के लिए सरकार को विकलांगता अधिनियम के तहत क्या करना चाहिए?

ज. सरकार को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए-

- दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों की सहायता के लिए श्रवण यातायात सिगनल लगाना, जेबरा क्रॉसिंग की सतह और रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारों को उकेरना।

* व्हील चेयर्स का इस्तेमाल करने वालों की आसान पहुँच के लिए पटरियों में ढाल (स्लोप्स) की व्यवस्था करना।
* विकलांगता के उपयुक्त चिन्हों को लगाना।
* उपयुक्त जगहों पर चेतावनी सिगनल लगाना।

स. सार्वजनिक भवनों तक विकलांग व्यक्तियों की पहुँच सुगम बनाने के लिए सरकार को विकलांगता अधिनियम के तहत क्या करना चाहिए?

ज. सरकार को सार्वजनिक भवनों में निम्न उपाय करने चाहिए-

* सभी भवनों, खासकर अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य मेडिकल देखभाल व पूनर्वास केन्द्रों पर ढलान (रेम्प्स) रखना।
* व्हीलचेयर्स का इस्तेमान करने वालों के लिए प्रसाधन गृहों को अनुकूल बनाना।
* लिफ्ट में ब्रेल चिन्ह और श्रवण-सिगनल्स लगाना।
* ऐसे कदम उठाएं जिनसे सार्वजनिक स्थलों, जन-सेवाओं और अन्य संस्थाओं में, एक बाधा-मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

स. विकलांग व्यक्तियों की 'सामाजिक सुरक्षा' और 'पुनर्वास' के लिए सरकार को विकलांगता अधिनियम के तहत क्या करना चाहिए?

ज. सरकार को निम्न उपाय करने चाहिए-

* विशेष रोजगार एक्सचेंज में दो साल से ज्यादा समय से पंजीकृत होने के बावजूद बेरोजगार रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को 'बेरोजगारी भत्ता' देने की योजनाएं बनाना।
* अपने विकलांग कर्मचारियों के लिए 'बीमा योजना' या 'सुरक्षा योजना' बनाकर अधिसूचना जारी करना।
* सभी विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास करना (जिसमें सहायक यंत्र व उपकरण प्रदान करना शामिल है) ताकि वे शारीरिक, संवेदिक (सेंसरी), बौद्धिक, मनःस्थतीय या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों पर अधिकतम रूप से समर्थ हो सकें।

इस अधिनियम को कौन क्रियान्वित करता है? क्या हमारी शिकायतों के निवारण के लिए कोई विशेष कार्यालय है?

स. विकलांगता अधिनियम के तहत क्रियान्वयन करने वाले प्राधिकारी कौन-से हैं?

ज. विकलांगता अधिनियम में निम्नलिखित प्राधिकारियों को इंगित किया गया है-

* मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय स्तर पर) और राज्य आयुक्त।
* केन्द्रीय व राज्य तालमेल समितियाँ।
* केन्द्रीय व राज्य कार्यपालक समितियाँ।

स. मुख्य आयुक्तध्राज्य आयुक्तों के क्या-क्या अधिकार हैं?

ज. मुख्य आयुक्तध्राज्य आयुक्तों के निम्नलिखित अधिकार हैं-

* मुख्य आयुक्त/अपनी इच्छा से या पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्य कारण से निम्नलिखित शिकायतों की जाँच कर सकता है-

  -विकलांग व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करना।

  -विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित बनाए गए कानूनों, नियमों, उप-कानूनों (बाईलॉज), नियमन, कार्यपालक आदेशों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों पर अमल न करना।

* इसके बाद मुख्य आयुक्त उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले को उठा सकता है।
* मुख्य आयुक्त निम्न कार्य भी करेगा-

  -राज्य आयुक्तों के कार्यों में तालमेल बिठाना।

  -केन्द्र सरकार द्वारा वितरित सहायता राशि के उपयोग पर निगरानी रखना।

  -विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकारों और

सुविधाओं की रक्षा करना।

-अधिनियम को लागू किए जाने के बारे में, केन्द्रीय सरकार को नियमित अन्तराल से प्रतिवेदन भेजना।

* राज्य आयुक्तों के समान अधिकार/कार्य हैं, लेकिन ये राज्य स्तर तक सीमित हैं।

स. तालमेल समितियों को क्या कार्य सौंपे गए हैं?

ज. केन्द्रीय और राज्य तालमेल समितियों को क्रमशः केन्द्रीय व राज्य स्तर पर सभी सरकारी व गैर.सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की गतिविधियों की समीक्षा और उनमें तालमेल बिठाना चाहिए। साथ हीं विकलांगता से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं का प्रतिपादन करना चाहिए। उन्हें विकलांग व्यक्तियों को समानता व पूर्ण भागीदारी हासिल करने के इरादे से बनाई गई नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभाव तथा सरकार द्वारा बताए गए ऐसे कार्यों की भी निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए।

स. कार्यपालक समितियों को क्या कार्य सौंपे गए हैं?

ज. केन्द्रीय और राज्य कार्यपालक समितियों को क्रमशः केन्द्रीय व राज्य स्तर पर केन्द्रीय तालमेल समिति के फैसले कार्यान्वित करने चाहिए तथा तालमेल समिति द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य कार्य करने चाहिए।

मैं क्या कर सकती हूँ?

स. विकलांगता अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों को लागू कराने के लिए विकलांग व्यक्ति को क्या करना चाहिए?

* यदि विकलांगता अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है या उससे वंचित रखा जाता है तो संबंधित सरकार और/या संबंधित प्रतिष्ठान को प्रतिवेदन दें।
* यदि कोई जवाब नहीं मिलता या जवाब नकारात्मक/अपर्याप्त हो तो विकलांगता से संबंधित आयुक्त के पास जाएं।
* विकल्पतः, संबंधित उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक समादेश याचिका दाखिल करें।
* यदि राष्ट्रीय महत्व के किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत समादेश याचिका दाखिल करें।

स. विकलांगता अधिनियम के तहत दिये गए किसी ऐसे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिसका प्रभाव विकलांग व्यक्तियों के पूरे समूह पर पड़ता है तो क्या किया जा सकता है?

ज. ऐसे मामलों में कोई भी विकलांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्तियों का समूह या संबंधित गैर.सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) या विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत कोई भी संगठन प्रभावित समूह या वर्ग की ओर से उच्च न्यायालय से जनहित याचिका (पी.आई.एल.) दाखिल कर सकता है या जहाँ राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो सर्वोच्च न्यायलय में जो सकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा औरध्या विकलांग व्यक्तियों के रोजगार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, नागरिक सुविधाओं, सार्वजनिक भवनों या इन जैसे मसलों, जो एक से ज्यादा विकलांग व्यक्तियों पर असर डालते हैं या उन्हें लाभ पहुँचता है, उनके बारे में जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है।

ईरान, इज़रायल और अमेरिका युद्धः
वर्तमान स्थिति, असर, प्रभाव व परिणाम

28 फरवरी 2026 में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच शुरू हुआ यह संघर्ष आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक बन गया है। इस युद्ध का वर्तमान विश्लेषण और भविष्य के प्रभावों का विवरण नीचे दिया गया है–

1. युद्ध का मुख्य कारण और वर्तमान स्थिति (मई 2026)—

यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर बड़े हमले किए।

ताजा स्थितिः 8 अप्रैल 2026 से एक अस्थाई युद्धविराम (Ceasefire) लागू है, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि, तनाव अभी भी चरम पर है।

हार्ममुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): ईरान ने इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और भारी मात्रा में LNG (गैस) की आपूर्ति रुक गई है।

2. दुनिया पर अब तक हुआ असर—

युद्ध के मात्र दो महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल गई है, तेल की कीमतें ब्रेंट क्रूड ऑयल 120 डालर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 30-40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

ऊर्जा संकटः कतर के गैस प्लांट पर हमले के कारण एशियाई देशों में LNG की कीमतें 140 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट माना जा रहा है।

आर्थिक नुकसानः अनुमान है कि इस युद्ध से ईरान को 145 डालर बिलियनए इजरायल को 50 डालर बिलियन और अमेरिका को डालर 40-50 बिलियन का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है।

सप्लाई चेनः समुद्री रास्ते बंद होने से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल आया है।

3. भविष्य में होने वाले प्रभाव— (Analytic Forecast)—

वैश्विक मंदी यदि हार्ममुज मार्ग मई के अंत तक नहीं खुला, तो दुनिया 2026 के अंत तक गहरी मंदी (Recession) में जा सकती है।

भू-राजनीतिक बदलाव मध्य पूर्व में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। कई देश अब अमेरिका के बजाय चीन और रूस के साथ नए सुरक्षा गठबंधन बना सकते हैं।

भारत पर प्रभाव भारत के लिए कच्चे तेल का आयात महंगा होने से पेट्रोल-डीजल की कीमतें रुपये 150-170 तक जा सकती हैं, जिससे महंगाई बेकाबू हो सकती है।

तकनीकी युद्ध भविष्य में 'ड्रोन' और 'साइबर वॉरफेयर' पारंपरिक युद्ध की जगह ले लेंगे, जैसा कि इस युद्ध के दौरान देखा गया।

4. निष्कर्ष— आगे क्या होगा?—

वर्तमान में दुनिया एक 'डेडलॉक' (Stalemate) की स्थिति में है। 4 मई 2026 को अमेरिका ने जलमार्ग खुलवाने के लिए सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।

Scenario A: यदि कूटनीति सफल रहती है, तो तेल की कीमतें साल के अंत तक डोलर 70-80 तक वापस आ सकती हैं।

Scenario B: यदि संघर्ष फिर से भड़कता है, तो तेल डोलर 150/बैरल को पार कर सकता हैए जो वैश्विक परिवहन और औद्योगिक उत्पादन को ठप कर देगा।

यह युद्ध केवल दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जेब और रसोई पर असर डालने वाला एक वैश्विक संकट बन चुका है।

केन्द्र शासित प्रदेशों के चुनावों ने दिया ऐतिहासिक परिणाम

भाजपा की 206 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत

भारत में मई 2026 में आए पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावी नतीजे भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुए हैं। इस बार के चुनावों ने कई पुराने किलों को ढहा दिया है और नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दिया है। पांचों राज्यों का विस्तृत विश्लेषण और चुनावी परिणाम दिए गए हैं–

1. पश्चिम बंगाल, 'भगवा लहर' का उदय—

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। यहाँ भाजपा ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को समाप्त करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया है। विजेता रही भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने 206 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट गई। इस जीत को 'सफ्रन सर्ज' (Saffron Surge) कहा जा रहा है। सत्ता विरोधी लहर (Anti-incumbency) और भ्रष्टाचार के आरोपों ने ममता बनर्जी के आधार को कमजोर किया। बंगाल में भाजपा ने ममता बनर्जी के 15 साल के 'अपराजेय' किले को ढहा दिया है।

प्रमुख नेताः शुभेंदु अधिकारी- इन्होंने न केवल पार्टी को जीत दिलाई, बल्कि भवानीपुर (ममता बनर्जी का क्षेत्र) में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर किया। ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट हारने के साथ-साथ राज्य की सत्ता से भी बाहर हो गईं। भाजपा ने 154 सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी मात्र 54 सीटों पर सिमट गई। चुनाव आयोग के अनुसार, एंटी-इंकंबेंसी और ध्रुवीकरण ने यहाँ अहम भूमिका निभाई।

2. तमिलनाडुः विजय का धमाका—

तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहे DMK-AIADMK के द्वंद्व को अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) ने तोड़ दिया है। TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। TVK ने 100 से अधिक सीटें जीतीं। DMK और एम.के. स्टालिन के लिए यह एक बड़ा झटका रहा, वे तीसरे स्थान पर खिसक गए। युवाओं और शहरी मतदाताओं ने एक 'तीसरे विकल्प' के रूप में विजय को चुना। स्टालिन के खिलाफ पारिवारिक शासन व सत्ता विरोधी लहर का असर साफ दिखा। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी TVK ने द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने ढांचे को हिला दिया है।

विजय (TVK) ने पेराम्बूर और त्रिची ईस्ट दोनों सीटों से जीत दर्ज की। उनकी पार्टी ने 105 सीटें जीतकर बहुमत के करीब मैजिक नंबर 118 पहुंचने का करिश्मा किया। एम.के. स्टालिन (DMK) की सत्ता विरोधी लहर के कारण उनकी पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई। TVK ने युवा वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई, जिससे डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को भारी नुकसान हुआ।

3. केरलः UDF की वापसी—

केरल में हर पांच साल में सरकार बदलने का रिवाज (Pendulum Politics) वापस आ गया है। एलडीएफ की 'हैट्रिक' की उम्मीदें धराशायी हो गईं। विजयता- कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा)।

UDF ने कुल 102 सीटें (कांग्रेस को 63) जीतीं, जबकि सत्तारूढ़ LDF 35 सीटों पर सिमट गया। भाजपा को यहाँ 3 सीटें मिलीं। पिनाराई विजयन के खिलाफ आर्थिक मुद्दों और शासन संबंधी चिंताओं ने UDF की राह आसान कर दी।

केरल के मतदाताओं ने एलडीएफ को लगातार तीसरी बार मौका देने के बजाय पारंपरिक रूप से सरकार बदलने के रिवाज को कायम रखा।

प्रमुख नेताः शशि थरूर ने इस जीत को लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन बताया। यूडीएफ ने 99-102 सीटों पर जीत दर्ज की। पिनाराई विजयन के 'एंटी-पीपल' नीतियों के आरोपों के कारण वामपंथ का यह आखिरी मजबूत गढ़ भी ढह गया। मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं के ध्रुवीकरण ने यूडीएफ की जीत में बड़ी भूमिका निभाई।

4. असम: भाजपा की 'हैट्रिक'—

असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। NDA ने 101 सीटों (कुल 126 में से) पर कब्जा जमाकर रिकॉर्ड जीत हासिल की। कांग्रेस को मात्र 27 सीटें मिलीं। हिमंत बिस्वा सरमा की विकास योजनाओं और मजबूत सांगठनिक पकड़ ने कांग्रेस की हर रणनीति को विफल कर दिया। असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है।

प्रमुख नेता: हिमंत बिस्वा सरमा (BJP) ने जालुकबारी सीट से लगातार छठी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। गौरव गोगोई (Congress) असम कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्षी गठबंधन के मुख्य चेहरा होने के बावजूद वे जोरहाट सीट से भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से हार गए। भाजपा नीत एनडीए ने 101 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर सिमट गई।

5. पुडुचेरी: कांटे की टक्कर—

पुडुचेरी में भी सत्ता का परिवर्तन देखने को मिला है, जहाँ कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ कांग्रेस गठबंधन (UPA/INDIA) को बढ़त मिली है, जिसने एनडीए को सत्ता से बाहर करने में सफलता हासिल की। पश्चिम बंगाल जैसी बड़ी जीत के बाद भाजपा अब पूर्वी भारत में निर्विवाद शक्ति बन गई है। DMK और TMC जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए यह आत्ममंथन का समय है, क्योंकि नए विकल्प (जैसे TVK) उनके वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। केरल में जीत ने कांग्रेस में नई ऊर्जा फूंकी है, हालांकि असम और बंगाल में पार्टी अभी भी संघर्ष कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश में एनआर कांग्रेस और भाजपा गठबंधन ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

प्रमुख नेता: एन. रंगास्वामी (AINRC) मुख्यमंत्री ने थट्टानचावडी सीट से 4,441 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। वी. वैथिलिंगम (कांग्रेस) के कद्दावर नेता अपनी सीट पर चौथे स्थान पर रहे, जो कांग्रेस की बदहाली को दर्शाता है।

एनडीए ने 30 में से 18 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि 'इंडिया' गठबंधन मात्र 6 सीटों पर रहा।

BHUMI MARKETING
अपने बिज़नेस की डिजिटल पहचान
BhumiMarketing.ingo.gov@gmail.com

आज ही अपने बिजनेस को डीजिटल बनाएं। वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सअप ऑटोमेशन, CRM, IVR और लीड स्टिम- सब एक जगह।

आज ही Free Consultation हेतु कॉल करें- 9887700059

आज ही अपने व्यापार को बनाएं डीजिटल
Bhumi Marketing
आपके व्यापार के लिए सम्पूर्ण डीजिटल समाधान प्रदान करता है। हमारी प्रमुख सेवाएँ—

1. Digital Marketing
2. Website Devlopment
3. WhatsApp Marketing
4. C.R.M. (Customer Relationship Management)
5. I.V.R. (Interactive Voice Response)
6. Whatsapp API & Automation
7. Bulk SMS RCS (Transactional & Promotional)

Contact Person- Mahadev Panwar, Jaipur (Raj.)
Mob.: 9887700059 BhumiMarketing.ingo.gov@gmail.com

अपने व्यापार को दें

नई उड़ान

कम लागत में शुरू करें

बिल्डिंग मटेरियल बिज़नेस

WHOLESALE RATE | DIRECT SUPPLY | TRUSTED BRANDS

TOP QUALITY CEMENT BRANDS

सीमेंट • सरिया • वालपुट्टी • व्हाइट सीमेंट

हमारे पास उपलब्ध सामग्री

- पूरे भारत में सप्लाई सुविधा
- बड़े प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल रेट
- डायरेक्ट कंपनी से कनेक्शन

ऑर्डर करनें के लिए अभी कॉल करें

9460087795

WHATSAPP ORDER AVAILABLE

AUTHORISED DEALER OF

SUPER SHAKTI TMT SARIYA | ARDEX ENDURA Building tomorrow | Super BullMaxx The seal of trust

JAI JASOL
Building Material
BALOTRA - PACHAPADRA

9460087795, 9887700059

www.JAIJASOLBM.org

We are at-

नवश्रुति

मानवाधिकार फाउंडेशन

NMF NGO

सेवा ही धर्म है धर्म ही सेवा

सामूहिक सनातन सर्व जाति विवाह सम्मेलन-2026

आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं

विवाह सम्मेलन हेतु संपर्क-
हजारी प्रजापत, जयपुर (राज.)
मो.: 7230035397

31000/- वर पक्ष
31000/- वधु पक्ष

मार्केटिंग मैनेजमेंट डायरेक्टर (ऑल इंडिया)
ब्रिजेश राय, जयपुर | मो.: 7230035398

आवश्यक दस्तावेज

1. वर-वधु के आधार कार्ड (3-3 फोटो कोंपी)
2. वर-वधु के पासपोर्ट साइज 3-3 फोटो
3. वर-वधु के माता-पिता के आधार कार्ड (2-2 फोटो कॉपी)
4. विवाह हेतु आवेदन करते समय वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की 18 वर्ष होना जरूरी है।
   (वैध मान्य प्रमाण-पत्र आवश्थक)
5. विवाह से पहले दोनों पक्ष (परिवार) एक दूसरे को स्वयं से भली-भाँति जान व जांच लें।
   (इस सवमध में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी)

सामुहिक विवाह से लाभ

1. उपहार स्वरूप जरूरी धरेलू सामान।
2. दोनों पक्षों के 50-50 लोगों की भोजन व्यवस्था।
3. पडित-पुरोहित की व्यवस्था।
4. स्टेज-शामियाने की व्यवस्था।

मुख्य ऑफिस-
जयपुर (राज.) मो.: 9251130059 | www.nmfngo.org